राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार

निष्पादन वर्ष 2013

NATIONAL SAFETY AWARDS
Performance Year – 2013

निर्देश पत्र / INSTRUCTION SHEET

1. **विस्तार - क्षेत्र:**

योजना I से X कारखाना अधिनियम 1948 की परिधि में आने वाले कारखानों पर, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन तथा निर्माण स्थलों पर भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोज़गार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 के अंतर्गत किसी भी पंजीकृत निर्माण स्थल पर भी लागू है। श्रम घंटों पर आधारित योजनाओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:-

योजना I एवं II : दस लाख श्रम घंटे या उससे अधिक काम करने वाले कारखाने / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन

योजना III एवं IV : कम से कम पांच लाख, लेकिन दस लाख से कम श्रम घंटे काम करने वाले कारखाने / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन

योजना V एवं VI : कम से कम ढ़ाई लाख, लेकिन पांच लाख से कम श्रम घंटे काम करने वाले कारखाने / निर्माण स्थल /परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन

योजना VII एवं VIII : कम से कम एक लाख, लेकिन ढ़ाई लाख से कम श्रम घंटे काम करने वाले कारखाने / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन

योजना IX एवं X : कम से कम पचास हजार, लेकिन एक लाख से कम श्रम घंटे काम करने वाले कारखाने / निर्माण स्थल / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन

टिप्पणी :

1. योजनाएं **I, III, V, VII एवं IX** पुरस्कार वर्ष से पहले लगातार तीन वर्षों के लिए उपर्युक्त श्रम घंटों हेतु लागू हैं, जबकि **II, IV, VI, VIII एवं X** योजनाओं के मामले में ये क्रमशः केवल निष्पादन वर्ष (अर्थात 2013) के लिए ही है।
2. कार्य के श्रमघंटों में समयोपरि श्रमघंटे और ठेके पर काम करने वाले उन श्रमिकों के कार्य के श्रमघंटे भी शामिल होंगें, जिन्हें कारखाना अधिनियम 1948 तथा भवन, अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन के अंतर्गत 'श्रमिक' माना गया है।

3. लगातार तीन वर्षों में से यदि एक में भी श्रमघंटे पचास हजार से कम हैं, तो कोई पुरस्कार नही दिया जाएगा।

1. SCOPE

The Schemes I to X are applicable to the factories registered under the Factories Act, 1948 / Construction sites under the Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 / Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB). The classifications of schemes based on man-hours worked are as under:

Scheme I & II	:	Factories / Construction sites / Installations under AERB working for one million Man-hours and more.
Scheme III & IV	:	Factories / Construction sites / Installations under AERB working less than one million man-hours subject to a minimum of half million (5 lakhs) man-hours.
Scheme V & VI	:	Factories / Construction sites / Installations under AERB working less than half million (5 lakhs) man-hours subject to a minimum of one quarter million (2.5 lakh) man-hours.
Scheme VII & VIII	:	Factories / Construction sites / Installations under AERB working for a minimum of one lakh man-hours but less than one quarter million (2.5 lakh) man-hours.
Scheme IX & X	:	Factories / Construction sites / Installations under AERB working for a minimum of fifty thousand (50,000) man-hours but less than one lakh (100,000) man-hours.

Note:

1. The Schemes **I, III, V, VII & IX** are applicable for the requirement of man-hours indicated above for each of the preceding three consecutive years including the Performance Year, whereas it is confined only to Performance Year i.e. 2013 in case of Schemes **II, IV, VI, VIII & X.**

2. The man-hours worked will also include overtime and the man-hours worked by the contract labour who are 'workers' under the Factories Act, 1948 / The Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 / Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB).

3. No Award will be given in case the man-hours in any of the three consecutive years are less than fifty thousand.

2. उद्योगों का वर्गीकरण

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार उद्योग समूह वर्गीकृत किए गए हैं और उन्हें इस राष्ट्रीय पुरस्कार - 2013 के निर्देश पत्र, पृष्ठ संख्या 6 पर अनुसूची में दर्शाया गया है।

योजना **I** एवं **II** में हरेक के अंतर्गत पंद्रह (15) उद्योग समूह हैं और योजना **III, IV, V, VI, VII, VIII, IX** एवं **X** में प्रत्येक के अंतर्गत ग्यारह (11) उद्योग समूह है।

2. CLASSIFICATION OF INDUSTRIES

The groups of industries are classified as per "National Industrial Classification" (NIC) code and are given in the form of schedules at Page No.6 of NSA Instruction Sheet.

There are fifteen (15) schedules of industries including construction site each under Scheme **I** & **II** and eleven (11) schedules of industries each under Scheme **III, IV, V, VI, VII, VIII, IX** & **X** respectively.

3. राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों का आधारः

क) योजना I, III, V, VII एवं IX (न्यूनतम औसत आवृति दर पर आधारित)

योजना I के अंतर्गत पंद्रह (15) उद्योग समूहों तथा III, V, VII एवं IX के अंतर्गत ग्यारह (11) उद्योग समूहों में से हरेक समूह में क्रमशः एक विजेता एवं एक उपविजेता घोषित किया जाएगा । इनमें से हरेक समूह में विजेता वह कारखाना होगा, जिसमें निष्पादन वर्ष की समाप्ति पर, लगातार तीन वर्षों की दुर्घटनाओं की औसत मूल्यांकित आवृति दर निम्नतम होगी।

ख) योजना II, IV, VI, VIII एवं X (दुर्घटना मुक्त वर्ष)

योजना II के अंतर्गत पंद्रह (15) उद्योग समूहों तथा योजना IV, VI, VIII एवं X के अंतर्गत ग्याहर (11) उद्योग समूहों में से हरेक समूह में क्रमशः एक विजेता और एक उपविजेता घोषित किया जाएगा। इनमें से हरेक समूह में विजेता वह कारखाना होगा, जिसमें निष्पादन वर्ष 2013 (जनवरी- दिसम्बर, 2013) में घातक दुर्घटना / अघातक दुर्घटना / पूर्ण स्थाई विकलांगता के बिना सबसे अधिक श्रमघंटे काम किया हो।

ग) आकलित आवृति दर का परिकलन

आकलित आवृति दर योजना I, III, V, VII और IV पर लागू है। आकलित आवृति दर में निम्नलिखित का समावेश होगाः

क) प्रति दस लाख श्रमघंटों के कार्य पर अघातक दुर्घटनाओं की संख्या।

ख) प्रति दस लाख श्रमघंटों के कार्य पर घातक दुर्घटनाओं की संख्या का 10 गुणा ।

ग) प्रति दस लाख श्रमघंटों के कार्य पर, कमाने की क्षमता की पूर्ण हानि में परिणत स्थाई पूर्ण विकलांगता के मामलों की संख्या का 10 गुणा ।

आवृति दर प्राप्त करने के लिए सूत्र

अघातक दुर्घटनाओं के लिए = $\dfrac{\text{अघातक दुर्घटनाओं की संख्या}}{\text{वर्ष के दौरान श्रमघंटे}} \times 10^6$

आकलित आवृति दर प्राप्त करने के लिए सूत्र

घातक दुर्घटनाओं के लिए = $\dfrac{\text{घातक दुर्घटनाओं की संख्या} \times 10}{\text{वर्ष के दौरान श्रमघंटे}} \times 10^6$

स्थाई पूर्ण विकलांगता के लिए = $\dfrac{\text{स्थाई पूर्ण विकलांगता की दुर्घटनाओं की संख्या} \times 10}{\text{वर्ष के दौरान श्रमघंटे}} \times 10^6$

टिप्पणी : 1. अघातक दुर्घटना वह दुर्घटना है, जिसमें अक्षमता 48 घंटे या अधिक समय तक रहती है।

2. कारखाना अधिनियम 1948 तथा भवन, अन्य निर्माण कर्मकार (रोज़गार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन के अंतर्गत केवल सूचित करने योग्य दुर्घटनाओं को ही शामिल करना है।

3. BASIS FOR NATIONAL SAFETY AWARDS

A) Schemes I, III, V, VII & IX (Based on Lowest Average Frequency Rate)

There will be one Winner and one Runner up under each of the fifteen (15) schedules of industries under Scheme **I** and eleven (11) schedules of industries under each of the Scheme **III, V, VII & IX** respectively, who have achieved the Lowest Average Weighted Accident Frequency Rate over a period of three consecutive years ending in the performance year 2013.

B) Schemes II, IV, VI, VIII & X (Accident Free Year)

There will be one Winner and one Runner up in each of the fifteen (15) schedules of industries under Scheme **II** and eleven (11) schedules of industries under each of the Scheme **IV, VI, VIII & X** respectively. The factory, which has worked maximum manhours without any fatal accident / non fatal accident / permanent total disability in the performance year 2013, will be the winner.

C) Calculation of Weighted Frequency Rate

The weighted frequency rate is applicable for Scheme **I, III, V, VII & IX** respectively. The weighted frequency rate will be the sum of:

a) The nos. of reportable non-fatal accidents per million man-hours worked.
b) The nos. of reportable fatal accidents per million man-hours worked multiplied by 10
c) The nos. of reportable Permanent Total Disability (PTD) cases leading to total loss of Earning capacity per million man-hours worked multiplied by 10.

FORMULA FOR CALCULATING FREQUENCY RATE

For Non- fatal accidents $= \dfrac{\text{No. of non-fatal accidents}}{\text{Man hours worked during the year}} \times 10^6$

FORMULA FOR CALCULATING WEIGHTED FREQUENCY RATE

For fatal accidents $= \dfrac{\text{No. of fatal accidents} \times 10 \times 10^6}{\text{Man hours worked during the year}}$

For PTD $= \dfrac{\text{No. of accidents for PTD} \times 10}{\text{Man hours worked during the year}} \times 10^6$

Note: 1. a reportable non-fatal accident is an accident which causes disability for 48 hours or more.

2. All fatal, non-fatal and the cases of permanent total disability reportable under the Facrories Act, 1948 / the Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 / Installations under Atomic Energy Regulatory Board (AERB) only are to be included.

4. निष्पादन वर्ष

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2013 के लिए वर्ष 2013, 01 जनवरी – 31 दिसम्बर, 2013 निष्पादन वर्ष होगा।

4. PERFORMANCE YEAR

The performance year for National Safety Awards 2013 will be 2013 i.e., 01 January – 31 December, 2013.

5. पुरस्कार

निष्पादन वर्ष के लिए प्रत्येक योजना और अनुसूची के अन्तर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक अनुसूची में विजेता और उप विजेता को एक शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा ।

5. PRIZE

The National Safety Awards under each Scheme and Schedule will be granted for the performance year. Under each schedule, the Winner and Runner up will be presented a Shield and a Certificate of Merit.

6. पुरस्कार समिति का गठन

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को जांचने-परखने के लिए, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, एक त्रिपक्षीय पुरस्कार समिति का गठन करेगा। इस समिति में कम से कम पांच सदस्य होंगे, जिनका चयन मुख्यतः उनकी तकनीकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। इस पुरस्कार समिति का निर्णय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के बाद होगा और यह निर्णय अंतिम होगा। पुरस्कार समिति किसी भी उचित कारण से पुरस्कारों की संख्या कम कर सकती है या अनुसूची में दिए गए किसी भी उद्योग को पुरस्कार न देने का निर्णय कर सकती है।

6. AWARDS COMMITTEE

The Ministry of Labour & Employment shall constitute a Tripartite Awards Committee to scrutinize and adjudge the applications received for the grant of the National Safety Awards. This Committee shall consist of not less than five members selected solely based on their technical ability and experience. Any decision of the Awards Committee in respect of prizes shall be subject to the approval of the Government of India, Ministry of Labour & Employment, whose decision shall be final. The Committee may reduce the number of awards or decide not to give an award to any of the industries given in the schedule for any reason it may consider fit.

7. प्रवेश शुल्क

हरेक योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रविष्टि के लिए **200/- रू.** मूल्य का रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट '**सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति'** के नाम से, किसी भी अनुसूचित बैंक पर मुंबई में देय, प्रवेश शुल्क के रूप में संलग्न होना चाहिए। प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

7. ENTRY FEE

Entry under each Scheme will be accompanied by Crossed Demand Draft for a sum of Rs.200/- drawn in favour of '**Secretary, National Safety Awards Committee,** payable at any scheduled bank in **Mumbai**. Entry fees, once paid, will not be refunded.

8. आवेदन पत्र प्रस्तुत करना

श्रमघंटों एवं दुर्घटनाओं तथा / या दुर्घटना मुक्त वर्ष संबंधित सूचना को, अपने कारखाना क्षेत्र निरीक्षक / कारखाना निरीक्षक / भवन एवं निर्माण स्थल के मुख्य निरीक्षक / निर्माण स्थल निरीक्षक / परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधीन संस्थापन के निरीक्षक से आवेदनपत्र की मद संख्या 8 पर दिए प्रमाणपत्र में आवश्यक सत्यापन करवाने के बाद, भरे हुए आवेदनपत्र आवश्यक डिमांड ड्राफ्ट सहित निम्न पते पर **अंतिम तारीख (15.10.2014)** तक या उससे पहले भेज देः

सचिव
राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति
कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय
क्षेत्रीय श्रम संस्थान,
सेक्टर - 47, फरीदाबाद
हरियाणा - 121010.
टेलीफोन – 0129-2468022, 0129-2468215
फेक्स - 0129-2468219.

सूचना : किसी भी प्रकार के अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

8. SUBMISSION OF APPLICATION FORM

Duly filled in Application Form after necessary verification of the information pertaining to man-hours and accidents and / or accident free year from the Inspector of Factories having jurisdiction over a factory / Inspector of Building & Construction having jurisdiction over the Construction site / Inspector having jurisdiction over the installations under AERB in a certificate given under item No.8 of the application form along with required demand draft should be sent on or before the closing date **(15.10.2014)** to :

THE SECRETARY
NATIONAL SAFETY AWARDS COMMITTEE
DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES
REGIONAL LABOUR INSTITUTE CAMPUS
SECOR-47, FARIDABAD
HARYANA - 121010.
Telephone No. – 0129-2468022, 0129-2468215.
Fax No. 0129-2468219.

NOTE: Incomplete application form in any manner is liable to be rejected.

9. यह आवेदनपत्र डीजीफासली की वेबसाइट **www.dgfasli.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

This application form is also available on the website of DGFASLI. **www.dgfasli.nic.in**

अनुसूची (योजना I एवं II के लिए)
SCHEDULE (FOR SCHEMES I & II)

1. वस्त्र विनिर्माण
   Manufacture of Textile
2. कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण तथा अभिलेखित प्रसार सामग्री का प्रकाशन, मुद्रण एवं पुनरूत्पादन
   Manufacture of Paper & Products and Publishing, Printing & Reproduction of recorded Media
3. रसायनों व रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण (उर्वरकों सहित)
   Manufacture of Chemicals & Chemical Products (including Fertilizers)
4. कोयला और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का वनिर्माण
   Manufacture of Coke & Refined Petroleum Products.
5. रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण
   Manufacture of Rubber & Plastic Products
6. विद्‍युत मशीनरी एवं उपकरणों को छोड़कर अन्यमशीनरी और उपस्करों का विनिर्माण
   Manufacture of Machinery & Equipment other than Electrical Machinery & Apparatus
7. विद्‍युतीय मशीनों व उपस्करों का विनिर्माण
   Manufacture of Electrical Machinery & Apparatus
8. इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपकरणों, उपस्करों, चिकित्सा तथा प्रकाशीय यंत्रों, घड़ियों एवं क्लाक का विनिर्माण
   Manufacture of Electronics Machinery and equipment / apparatus & Medical & Optical Instruments and Watches and Clocks
9. अन्य परिवाहन उपकरणों का विनिर्माण
   Manufacture of other Transport Equipment
10. मोटर वाहनों, ट्रेलरों एवं अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण
    Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi-Trailers
11. मशीनरी एवं उपकरणों को छोड़कर मूल धातुओं, संरचित धातु उत्पादों का विनिर्माण
    Manufacture of Basic Metals, Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment
12. अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण
    Manufacture of other Non-Metallic Mineral Products
13. खाद्‍य उत्पादों और मादक पेय का विनिर्माण Manufacture of Food Products and Beverages
14. निर्माण
    Construction
15. विविध (अन्य कहीं शामिल नहीं)
    Miscellaneous (Not included elsewhere)

अनुसूची (योजना III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, एवं X के लिए)
SCHEDULE (FOR SCHEMES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX & X)

1. वस्त्र विनिर्माण
   Manufacture of Textile

2. रसायनों व रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण (उर्वरकों सहित)
   Manufacture of Chemicals & Chemical Products (including Fertilizers)

3. चमड़े की सिझाई और सजावटः सामान, हैंडबैग, जीनसाली, हारनेस और जूते-चप्पल का विनिर्माण
   Tanning and Dressing of Leather : Manufacture of Luggage, Handbags, Saddlery, Harness and Footwear

4. रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण
   Manufacture of Rubber & Plastic Products

5. अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों विनिर्माण
   Manufacture of other Non-Metallic Mineral Products

6. खाद्य उत्पादों और मादक पेय का विनिर्माण
   Manufacture of Food Products and Beverages

7. विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक मशीनरी और उपकरणों, उपस्करों, चिकित्सा तथा प्रकाशीय यंत्रों घड़ियों एवं क्लॉक का विनिर्माण
   Manufacture of Electrical and Electronics Machinery and equipment / apparatus & Medical & Optical Instruments and Watches and Clocks

8. विद्युत मशीनरी को छोड़कर अन्य मशीनरी और उपस्करों का विनिर्माण
   Manufacture of Machinery & Equipment other than Electrical Machinery

9. मशीनरी एवं उपकरणों को छोड़कर संरचित धातु उत्पादों का विनिर्माण
   Manufacture of Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment

10. निर्माण
    Construction

11. विविध (अन्य कहीं शामिल नहीं)
    Miscellaneous (Not included elsewhere)